न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:—25 / 2015

तारीख रजू:—08.05.2015

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2015 / 00113

पीठासीन अधिकारी :—दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. औंकार पुत्र बिलास मीना, निवासी सवाईगंज, ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

—अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थितः—
1. **वकील प्रार्थी—श्री अब्दुन वहाब एडवोकेट**
2. **अप्रार्थीः—पैरोकार, सरकार**

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः—23.04.2025

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी सवाईगंज, ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा का निवासी है। ग्राम ईसरदा की साबिक भूमि खसरा नंबर 458, जो कि बड़ा रकबा था, में प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 458 / 5 में 5 बिस्वा भूमि स्थित थी, जिसमें प्रार्थी ने जानवरों के बांधने की टापरी बना रखी है तथा चारों ओर कांटों तथा पत्थरों की बाड़ कर रखी है एवं पट्टीयां खड़ी कर रखी है। भू—प्रबंध के दौरान प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक भूमि खसरा नंबर 458 / 5 रकबा 5 बिस्वा के नये खसरा नंबर 1119 रकबा 0.06 है0 बनाये जाकर भू—प्रबंध विभाग ने नवीन जमाबंदी जारी की है। भू—प्रबंध विभाग ने प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि का मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया। प्रार्थी जिस जगह काबिज है, उसका हाल खसरा नंबर 1021 रकबा 0.58 है0 किस्म बंजड़ है, जो कि बड़ा रकबा है। इस प्रकार भू—प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नंबर 1021 रकबा 0.58 है0 में से 0.06 है0 को गलत खसरा नंबर 1119 रकबा 0.06 है0 पर खातेदारी अंकित कर दी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 458 / 5 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के बने नवीन खसरा नंबर 1119 रकबा 0.06 है0 से प्रार्थी की खातेदारी से नाम हजफ फरमाया जाकर नवीन खसरा नंबर 1021 रकबा 0.58 है0 बंजड़ में से 0.06 है0 की प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज फरमाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड्स एवं रिकॉर्ड्स ऑफ टाईटल में अंकन फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:35:28 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये जाकर उनकी न्यायालय में तलवी की गई।

3. यह है कि प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने रिपोर्ट / जवाब पेश किया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम ईसरदा के खसरा नंबर 458 के मि.नं. 458 / 5 रकबा 5 बिस्वा के रूप में खातेदारी भूमि थी, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

2073–76 के खाता संख्या 47 में खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.06 है. की किस्म बंजड की खातेदारी ओंकार पुत्र विलास जाति मीना सा. ढाणी सारसोप के रूप में दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 1021/0.58, 1119/0.06 दोनों ही साबिक खसरा नम्बर 458 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा से बने है। वर्तमान राजस्व किार्ड में खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.58 गै.मु. चरागाह दर्ज है। खसरा नंबर 1021 एवं खसरा नंबर 1119 की राजस्व नक्शे के अनुसार दूरी लगभग 15 फिट है। प्रार्थी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा के खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.06 है० खातेदारी से नाम हजफ किया जाकर खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.58 है. से 0.06 है० अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करवाना चाहता है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.58 है० किरम गै. मु. चरागाह दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित होने के कारण 0.06 है० रकबा दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

4. बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि खसरा नंबर 1119 से नाम हजफ कर वर्तमान में काबिज खसरा नंबर 1021, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 चारागाह दर्ज है, को प्रार्थी के नाम खातेदारी अंकित की जावे।

5. मैंने प्रार्थी के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी इस आधार पर नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाना चाहता है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा उसकी खातेदारी के साबिक खसरा नंबर 458/5 रकबा 5 बिस्वा से बने नये खसरा नंबर 1119 रकबा 0.06 है0 की तरमीम उस जगह पर नहीं की गई, जहां पर प्रार्थी काबिज था। यह अविवादित है कि प्रार्थी वर्तमान में खसरा नंबर 1021 रकबा 0.58 है0 पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 458/5 रकबा 5 बिस्वा का राजस्व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी राजस्व नक्शे के अनुरूप ही मौके पर काबिज था या नहीं। परिणामस्वरूप यह भी स्पष्ट नहीं है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल खसरा नंबर 1119 का साबिक नक्शे से भिन्न नवीन नक्शा बनाया है अथवा नहीं। अतः प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक नक्शे से भिन्न नवीन नक्शा जारी किया है। यह संभव है कि प्रार्थी सेटलमेंट के पूर्व से ही स्वयं के साबिक खसरा नंबर 458/5 पर काबिज न होकर अन्य जगह पर काबिज हो, उस स्थिति में प्रार्थी को नक्शा/राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी जिस जगह पर काबिज है एवं वर्तमान राजस्व नक्शे के अनुसार जिस जगह पर प्रार्थी का हाल खसरा नंबर 1119 रकबा 0.06 है0, उसमें महज 15 फिट की दूरी है। प्रार्थी बड़ी आसानी से राजस्व रिकॉर्ड/नक्शे अनुसार स्वयं के हाल खसरा नंबर 1119 रकबा 0.06 है0 पर काबिज हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड/नक्शे में चाही गई दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:28 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)